(c) Yes, Sir.

(d) WAPCOS was engaged as Expert Consultants by the Hyderabad Metropolitan Water Supply & Sewerage Board for the project "Augmentation of Water Supply to the Twin Cities of Hyderabad & Secunderabad".

The recommendations submitted are given in the Statement (*see* below).

STATEMENT

Recommendations:

(i) The Additional requirement of 16.5 TMC (260 MGD), by 2011 A.D. (for projected population of 60 lakhs) for Water Supply to the twin cities was split up in 3 phases of 5.5 each.

(ii) The water is to be drawn for the 1st phase requirement of 5.5 TMC from the foreshore of Nagarjuna Sagar reservoir either in conjunction with irrigation scheme (SLBC) to pump it to proposed Akkampalli balancing reservoir and from there to the twin cities or as an ideependent scheme with a separate intake.

(iii) The subsequent phase requirements were also to be met from the Nagarjuna Sagar by augmenting the supplies of the Krishna basin by a number of identified schemes.

(iv) In order to off-set the effect on irrigation on account of these withdrawals from the storage of Nagarjuna Sagar reservoir and also to serve as a terminal reservoir, the contemplated Pulichintala Project could be taken up as early as possible.

(v) Supplementing from the Godavari viz. (a) Inchampalli right bank canal and (b) Dummugudam anicut by Pumping 16.5 TMC to Nagarjuna Sagar left bank canal at Tallada regulator.

(vi) On the Godavari river, the Committee considered Kanthalapally site as the second dependable source in order of priority.

Issuance of Irrigation Bonds Scheme

3492. SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE:
SHRIMATI VEENA VERMA:

Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether Government of Maharashtra had mooted any proposal for issuing Irrigation Bonds to raise finance for its projects to optionally utilise the water in the Krishna Godavari basin; if so, the details of the Bond scheme and the amount of funds sought to be raised; and

(b) if so, Government's reaction in this regard?

THE MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI V. C. SHUKLA): (a) and (b) Yes, Sir. As the total investible resources for the market borrowing programme, both for the Central and State Governments, is limited, there is no scope for allowing any additional allocation to Maharashtra Government over and above the borrowing programme as already approved.

राजस्थान के जल का बंटवारा

3493. **श्री शिवचरण सिंह :** क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के जल के बंटवारे से संबंधित सरकार के विचाराधीन अंतर्राज्यीय मामलों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) सभी मामलों के संबंध में कब तक निर्णय ले लिया जाएगा और विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(ग) अंतिम निर्णय लिए जाने तक उस राज्य के हिस्से का जल न दिए जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या यह सच है कि यदि राजस्थान को जल उपलब्ध करा दिया जाए, तो वह सारे देश को खाद्यान्न और

खाद्य तेलों की आवश्यकता पूरी कर सकता है ; और इन समस्याओं को कब तक सुलझाए जाने की संभावना है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) राजस्थान के जल के बंटवारे से संबंधित अंतर्राज्यीय मामलों में रावी-व्यास जल, माही बजाज सागर परियोजना, यमुना जल और गंगा-जल में राजस्थान के दावे से संबंधित मामले निम्नलिखित हैं :—

(I) रावी-व्यास जल

रावी व्यास जल से संबंधित विवाद, केन्द्रीय सरकार द्वारा अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 के अंतर्गत गठित अधिकरण के पास 2 अप्रैल, 1986 को भेजा गया था। इस अधिकरण द्वारा दी गयी रिपोर्ट पर, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों और केन्द्रीय सरकार ने कुछ मुद्दों पर अधिकरण से स्पष्टीकरण और मार्गदर्शन मांगा है। तत्पश्चात् पंजाब सरकार ने अधिकरण के सामने यह तर्क दिया कि पंजाब में लोकप्रिय सरकार की स्थापना होने तक अधिकरण की कार्यवाहियों को आस्थगित रखा जाए। पंजाब में लोकप्रिय सरकार बनने के साथ ही, विभिन्न मामलों को सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझाने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए राज्यों से विचार विमर्श प्रारम्भ किया गया है।

(II) माही बजाज, सेागर परियोजना

राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के मध्य माही नदी जल के बंटवारे के संबंध में नर्मदा की रूपरेखा के बाद कदाना बांध और माही बजाज सागर बांध से माही जल के प्रयोग के बारे में राजस्थान और गुजरात के बीच 1966 के समझौते के कार्यान्वयन पर विचारों में कुछ मतभेद हैं। अंतर्राज्यीय बैठकों के जरिए इस मामले को सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(III) यमुना जल

यमुना जल के बंटवारे पर जल संसाधन मंत्री द्वारा 22 दिसम्बर, 1991, 10 जनवरी, 1992, 28 मार्च, 1992 और 19 जुलाई, 1992 को बुलाई गयी अंतर्राज्यीय बैठकों में विचार विमर्श किया गया था। 28 मार्च, 1992 को आयोजित बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुसरण में, प्रस्तावित रेणुका बांध दिल्ली के लिए समानान्तर चैनल, हथनीकुंड बराज, किशाऊ बांध के निर्माण और पेयजल उद्देश्य के लिए यमुना जल के बंटवारे से संबंधित मामलों पर 19 जुलाई, 92 को भी विचार विमर्श जारी रहा। सभी संबंधित मामलों पर व्यावहारिक रूप से राज्यों के बीच में मोटे तौर पर सहमति का दृष्टिकोण रहा और यह निर्णय लिया गया कि सूचना और आंकड़ों के बीच कुछ विसंगतियों का पता लगाने तथा यमुना नदी से ओखला तक जल के उपयोग और उसकी उपलब्धता के आंकड़ों का सावधानीपूर्वक पुनः आकलन करने के लिए अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग द्वारा तकनीकी अधिकारियों की एक और बैठक आयोजित की जाएगी। यह भी सहमति हुई कि सभी मुद्दों पर अन्तिम निर्णय लेने के लिए मुख्यमंत्रियों की अगली अंतर्राज्यीय बैठक 17 अगस्त, 1992 को आयोजित की जाएगी।

उपर्युक्त निर्णय के अनुसार, अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग ने बेसिन राज्यों के तकनीकी अधिकारियों के साथ एक बैठक 29 जुलाई, 1992 को आयोजित की।

(IV) गंगा से जल

राजस्थान सरकार ने राजस्थान में क्षेत्रों के लिए टिहरी बांध परियोजना जल का 10% जल आबंटित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को राज करने के वास्ते केन्द्रीय सरकार को पत्र लिखा था।

तदनुसार यह मामला उत्तर प्रदेश के साथ उठाया गया उत्तर प्रदेश सरकार ने राजस्थान सरकार को जुलाई, 1988 में और इस मंत्रालय को सितम्बर, 1988 में सूचित किया कि टिहरी बांध परियोजना में गंगा जल

को वचनबद्धताओं को ध्यान में रखते हुए, राजस्थान के क्षेत्रों को अधिशेष जल देना संभव प्रतीत नहीं होता ।

राजस्थान ने गंगा के अधिशेष बाढ़ जल को राजस्थान के क्षेत्रों को अंतरित करने के लिए गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग को एक प्रस्ताव भी भेजा था । राजस्थान द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव का केन्द्रीय जल आयोग द्वारा अध्ययन किया गया तथा यह देखा गया कि गंगा के अधिशेष बाढ़ जल का अन्तरण राजस्थान को करना आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं होगा ।

तथापि, राष्ट्रीय जल संसाधन विकास के राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने हिमालयी नदी विकास घटक का मोटे तौर पर अध्ययन शुरू किया है, जिसमें, अन्य बातों के साथ साथ, गंगा नदी तथा इसकी पूर्वी सहायक नदियों से मानसून के अधिशेष जल का दिक्परिवर्तन राजस्थान के जल की कमी वाले क्षेत्रों में करने की भी परिकल्पना की गयी है । इस रिपोर्ट के आठवीं योजना के अंत तक प्राप्त होने की आशा है ।

(ग) विद्यमान करारों के अनुसार राजस्थान अंतर्राज्यीय नदियों से अपना हिस्सा पहले से ही प्राप्त कर रहा है ।

(घ) आठवीं योजना दस्तावेजों में किए गए प्रेक्षपणों के अनुसार 2001 ईसवी तक समग्र देश के लिए खाद्यान्न की कुल आवश्यकता लगभग 245 मिलियन टन होगी तथा तिलहन की आवश्यकता 29 मिलियन टन होगी । समग्र देश की पूरी आवश्यकता को पूरा करना किसी एक राज्य के लिए संभव नहीं है ।

Recharging of ground water resources

3494. SHRI SURESH KALMADI: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have approved four projects for recharging of ground water resources in certain areas where the water level has substantially declined; and

(b) if so, what are the details of the projects and the location of areas where they are likely to be set up?

THE MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI V. C. SHUKLA): (a) and (b) In February, 1992 the Government has approved a scheme, costing Rs. 36.7 lakhs prepared by the Central Ground Water Board for the artificial recharge of gound water in:

(i) Gauribidanur and Mulbagal Taluks in Kolar district, Karnataka.

(ii) Orange and banana growing areas in Amravati and Jalgaon district, Maharashtra.

(iii) Union Territory of Delhi.

(iv) Union Territory of Chandigarh.

Centarl assistance for irrigation projects of Bihar

3495. SHRI S. S. AHLUWALIA: Will the Minister of WATER RECOURCES be pleased to state:

(a) whether Government have prepared any action plan for providing Central assistance to the on going minor irrigation projects in Bihar;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether Government have sought the assistance from World Bank in this regard;

(d) if so, the details thereof; and

(e) what co-operation Government is receiving from Government of Bihar in completing the minor irrigation projects there?

THE MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI V. C. SHUKLA): (a), (b) and (e) No, Sir, Minor Irrigation projects are formulated, exe-